अध्याय - 7

ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकता

"प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण सूचना आवश्यकता की अवधारणा, ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं की जानकारी में कठिनाईयां एवं पहचान, ग्रामीण सामुदायिक सूचना वातावरण तथा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के नये आयाम-सामुदायिक सूचना सेवा का अध्ययन किया गया है ।"

अवधारणा

आजादी के 50 वर्षो के लंबी अवधि पार करने के बाद भी हम बापू के सपनों का भारत नहीं बना पाये हैं यद्यपि इसके अनेक कारण हैं किन्तु उसमें से सबसे बड़ा कारण भारत की गांवों का समुचित विकास न हो पाना है । कुल आबादी में गांवों की 75% आबादी है जिसमें 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और उसमें से आधी आबादी निरक्षर है ।(1991की जनगणना) प्रति 30000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (भारत, 1994 पृ. 198-199) की व्यवस्था और मात्र 13% ग्रामीण आबादी के लिए सफाई (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आंकड़े) का प्रबंध आदि हमारी असफलता को दर्शाते हैं । यद्यपि स्व. राजीव गांधी के सरकार द्वारा पारित विधेयक बापू के पंचायत राज प्रणाली को पूरे देश में लागू कर इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया किंतु ग्रामीण जनता बहुत उत्साहित नहीं दिखती और न इसके परिणाम ही अपना कोई विशेष छाप छोड़ पाये हैं । इस प्रकार ग्रामीण विकास और गांवों के प्रशासन हेतु स्थापित पंचायती राज संस्थायें अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी हैं । अतः ग्रामीण विकास के सर्वतोन्मुखी दृष्टिकोण को अपनाना और तद्नुरुप नयी रणनीति बनाना आवश्यक हो गया है । इस संदर्भ में ग्रामीण विकास का गांधीवादी ढांचा को सही ढ़ंग से लागू करना ही एकमात्र विकल्प हो सकता है । [63]

ग्रामीण विकास के प्रति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समग्र दृष्टिकोण के हिमायती थे । इस दृष्टिकोण के अंतर्गत गांवों का आर्थिक , सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास परस्पर संबंधित है और विकास की प्रकिया में ग्रामीणों के संपूर्ण जीवन का अनुप्रमाणित होना आवश्यक है । आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर, राजनीतिक रुप से स्वशासित, सामाजिक रुप से समतामूलक और शारीरिक श्रम को गरिमा प्रदान करने तथा ग्रामीण संस्कृति का संरक्षण करने वाले गांवों का निर्माण गांधी जी का लक्ष्य था । गांधी जी के अनुसार गांवों की पुनर्रचना में "उद्योग, हुनर, तन्दुरुस्ती और शिक्षा इन चारों का सुन्दर समन्वय होना चाहिए । " गांधीवादी अर्थशास्त्र में कुटीर उद्योगों में उत्पादन के औजारों तथा पद्धतियों में गुणात्मक सुधार प्रमुख विषय है । गांधी जी

की ग्राम स्वराज्य की कल्पना को साकार करने में ग्रामीण पुस्तकालय, ग्रामीणों में व्यापक रुप से जनजागृति लाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है ।

भारत में लोक ग्रंथालय अधिनियम 1952 का जब से प्रतिपादन हुआ है, हमने नगरीय तथा ग्रामीण लोगों के लिए निश्चय किया कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के नेटवर्क स्थापित कर उनकी सूचना आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी । कुछ परिणाम में नगरीय जन संख्या के सूचना आवश्यकताएं को पूरा किया गया परंतु ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकता के संदर्भ में ऐसा विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता । [42]

वास्तव में ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं की प्रकृति को समझने के लिए भारत में व्यवस्थित अध्ययन पद्धति का अभाव है । इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ भाग ऐसे हैं जैसे कि ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकता की पहचान कैसे हो ? अधिग्रहण के लिए कौन से मापन की आवश्यकता है ? कौन सी आवश्यकताओं को पूर्ण किया गया है, विविध राज्यों में वर्तमान सार्वजनिक संगठन के संरचनाओं के प्रभाव पूर्ण सही आवश्यकताओं को कैसे उत्कृष्ट बनाया जावें।

ग्रामीण सूचना आवश्यकता

ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं के अध्ययन में मुख्य भ्रांति यह है कि ग्रामीण सूचना आवश्यकताएं या तो शहरी सूचना आवश्यकताएं के परिचयात्मक हैं या उसी का मिलता-जुलता रूप । गृह पहुंच अध्ययन के रूप में वे समरूप हो सकते हैं, परंतु वे परिचयात्मक नहीं हैं। ग्रामीण सूचना आवश्यकताएं की तात्विक प्रकृति नगरीय सूचना आवश्यकताएं से सुस्पष्ट रूप से भिन्न है । कदाचित् ग्रामीण सूचना आवश्यकताएं क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और स्थानीय जनसंख्या के अन्य विशेषताओं के आधार पर परिवर्तित हो सकता है । भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्मिकों हेतु यही स्थिति चुनौती पूर्ण है ।

सैद्धांतिक रूप में प्रदत्त जनसंख्या का ग्रामीण सूचना आवश्यकताएं ग्रामीण जीवन शैली व स्थिति का वृत्ताकार-परिक्रमा है । अधिकांशतः भारत में ग्रामीण जनसंख्या का आधार कृषि है । कृषि और समवर्गी क्षेत्रों से सम्बद्ध आवश्यकताओं की अधिकता है । फिर भी, पंचवर्षीय योजनान्तर्गत परिवर्तन प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्रामीणों हेतु रूचि के कई अन्य क्षेत्र शनैः-शनैः निकलने लगा है । [42]

ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं की जानकारी में कठिनाईयाँ

निःसंदेह ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं की जानकारी में अन्तरनिष्ठ कठिनाईयां हैं। इसे समझकर ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालयाध्यक्ष अपने प्रबंध के लक्ष्य की प्रकृति जानने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अशिक्षा या साक्षरता की निम्न स्तर इसमें सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीणों को अशिक्षा के सभी हानियों को जानना चाहिए। उनके सूचना आवश्यकताएं का गैर संचार होना प्रमुख कठिनाईयां में से एक है। इस समस्या से निजात पाने से ग्रामीणों को यह स्पष्ट हो सकेगा कि वे वास्तव में चाहते क्या हैं ? इसके अलावा भी एक प्रमुख समस्या कार्य प्रारंभ की है। ग्रामीण समुदाय बड़ी तादाद में यह अभिलाषा करते हैं कि उनकी समस्याओं को समझकर उसका हल निकालने का आरंभ उनके जीवन परिवेश के साथ ही किया जावे। उदासीनता तथा अविश्वास ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं समझने के लक्ष्य को और कठिन बनाता है। देखा जा सकता है कि ये तथ्य अन्तर-आधारित है। एक लोक पुस्तकालयध्यक्ष को सबसे पहले इन समस्याओं को जानने के बाद ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं प्रमाणित कर स्थानीय लोक रीतियों के मिश्रण से आधारित प्रतिवेदन को उनके आत्म-विश्वास में वृद्धि हेतु करना चाहिए तब उनमें आशा की किरण नजर आयेंगी।

ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकता की पहचान

हम ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं की पहचान कैसे करें जबकि इसके पहचान हेतु एक भी तकनीक या उपयोग विधि निर्दिष्ट नहीं है। काफी अध्ययन और विश्लेषण के पश्चात् सही तकनीकों / विधियों को निश्चित किया जा सकता है। इस स्थिति में ग्रामीण सूचना आवश्यकताएं की प्रकृति के संबंध में अभिप्रेरित व्यक्ति उल्लेखित विधि से अवगत हो सकता है।

एक लोक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए यह जानने का सबसे आसान तरीका है कि वह ग्रामीणों से घुल-मिल जावे अथवा उनके साथ रहने लगे। मनोवैज्ञानिकों तथा मानव जीव वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का सफलता पूर्वक उपयोग किया है। सामान्यतः सूचना आवश्यकताएं जीवन शैली के आस-पास घुमती है। अतः सबसे अच्छा तरीका है ग्रामीणों के साथ उन्हीं की भांति ग्रामीण परिवेश में घूल-मिलकर नजदीक से उनके जीवन शैली का अध्ययन करें। इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रामीणों में आत्म विश्वास जगाये

तथा उन्हें बतलाये कि उसकी कार्य एवं भूमिका से ग्रामीणों को किस तरह से लाभ प्राप्त हो सकता है और यह भी स्पष्ट करें कि वह अपना नजरिया उन पर सौपने नहीं जा रहा है । ग्रामीणों को उनके अभिव्यक्ति के लिए पूर्व छूट प्रदान करते हुए उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले घटकों विचारों का एकत्रीकरण करना चाहिए । सभी स्थिति में लोक पुस्तकालयाध्यक्ष को ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए और उनकी सूचना आवश्यकताएं की वास्तविक प्रकृति से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए ।

ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताओं को जानने का एक और जरिया ग्राम प्रमुख अथवा पंचायत के सदस्य, खंड विकास अधिकारी, शासकीय अधिकारी / कर्मचारी, ग्रामीण बैंक अधिकारी / कर्मचारी, नायब तहसीलदार, धार्मिक प्रमुख / पुजारी पंडित, स्थानीय नेता, शिक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी / कर्मचारी तथा अन्य जो ग्रामीण लोगों के सीधे संपर्क में रहते हैं, पुस्तकाध्यक्ष को उन तक पहुँचना चाहिए तथा अपने उद्देश्यों को उन्हें बतलाकर तथा उनके साथ मिलकर ग्रामीण जीवन पर विस्तृत जानकारी उनसे तैयार करवाना चाहिए । इस पहुँच से उनकी सूचना आवश्यकता की प्रकृति को अच्छे ढंग से सामने लाया जा सकता है । इस प्रकार ग्रामीण समुदाय की सूचना आवश्यकताएं की पहचान की जा सकती है और इनमें सार्वजनिक पुस्तकालय उल्लेखनीय भूमिका निभा सकता है ।

ग्रामीण पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों पर एन. आई. आर. डी. हैदराबाद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वर्क शाप (9-11 सितंबर 1998) में ग्रामीण सूचना आवश्यकताएं की निम्नानुसार पहचान की गई :-[01]

1. आधारीय आवश्यकताएं	-	स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य सुख सुविधाएं / सौम्यता
2. आर्थिक आवश्यकताएं	-	उन्नत फसल उत्पादन, उत्पाद विक्रय विकल्प, विपणन सूचना
3. सूचना आवश्यकताएं	-	जहां सूचना प्राप्त हो, नीति और सेवा उपलब्धता
4. शैक्षणिक आवश्यकताएं	-	पाठ्य पुस्तके, शिक्षण सामाग्री, सामान्य शिक्षा
5. मनोरंजन आवश्यकताएं	-	खेल सुविधाएं, सांस्कृतिक क्रिया कलाप ।

ग्रामीण सामुदायिक सूचना वातावरण

सूचना वातावरण को हम दो पारस्परिक कारकों के समन्वयन के रूप में देख सकते हैं-।98।

1- विद्यमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति

2- ग्रामीणों की कार्य एवं जीवन के दौरान व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं

विद्यमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति को पुनः विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है :-

1- आर्थिक स्थिति

2- सामाजिक स्थिति

3- राजनैतिक स्थिति

4- अधोसंरचनात्मक संशाधन

उपर्युक्त स्थितियों पर सूचना उपयोग की चर्चा निम्नांकित है -

आर्थिक स्थितियां -

समुदाय के आर्थिक स्थिति को समझने की नितांत आवश्यकता है । लोग जीवन-यापन हेतु उपार्जन कैसे करते हैं ? गरीबी रेखा के नीचे इनका अनुपात क्या है ? उनके जीवन-यापन के अर्जन में कौन सी प्रमुख कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? समुदाय में क्या संचार साधन उपलब्ध है ?

सामाजिक स्थितियां -

ग्रामों की सामाजिक अन्तरविन्यास कैसी है तथा समुदाय में लोगों के मध्य तनाव तो नहीं है ? समुदाय के नेता कौन है ? क्या वे लोकप्रियता से निर्वाचित हैं ? या वंशानुगत अगुआ हैं, या केन्द्रीय अधिकार प्राप्त लोगों के द्वारा वह बनाया गया है ? इस नेता के प्रति लोगों का नजरिया क्या है ? समुदाय में विविध समूहों, जैसे- महिला, पुरूषों की क्या भूमिका है ।

राजनीतिक स्थितियां -

ग्रामीणों का सरकार से कैसे संबंध है । क्या उन्हें प्रजातांत्रिक तरीके से चुना गया

है, अथवा अधिकारवादी शासन ? क्या वहां अनेक दल हैं, अथवा केवल एक दलीय स्थिति है।

अधोसंरचनात्मक संशाधन -

इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण आवश्यक संशाधन जुड़े हुए हैं, इनमें सड़क, विद्युत, बाजार व्यवसाय, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, विस्तार एजेंसियां, दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी केन्द्र, प्रकाशन संस्थाएं आदि संलग्न हैं ।

व्यावहारिक पक्ष -

सूचना वातावरण की द्वितीय पहलू ग्रामीण समुदाय के साथ सूचना का आदान-प्रदान व्यवहार है । प्रयोग सिद्ध साक्ष्यों की आवश्यकता स्पष्टतः यह बतलाने में होती है कि कैसे ग्रामीण समुदाय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं साथ ही उनके सूचना खोज के वातावरण क्या है ? वे महत्वपूर्ण सूचना कैसे खोजते हैं । ग्रामीण विकास लाने के बारे में सूचना की भूमिका है । यह पहलू निम्नलिखित भाग में है - (७४)

1. **संचार के अन्तरनिजि रूप -**

ग्रामीण समुदाय में संचार व्यवहार के अनेक अध्ययनों में यह मिला है कि संचार के अन्तरनिजि रूप अत्यंत लोकप्रिय है । ग्रामीण समुदाय सूचना की अदला-बदली पारिवारिक सदस्यों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ करते हैं । ऐसे सूचना की अदला-बदली बाजार, जल भरने का स्थान, सार्वजनिक कार्यक्रम, बस स्टाफ, पूजा / प्रार्थना स्थल, शराबखानों इत्यादि स्थानों से होती है ।

ग्रामीण समुदायों के द्वारा सूचना अदला-बदली के लिए संचार के अन्तरनिजि रूप ही बड़ी मात्रा में वहन करती है । सूचना के इन रूपों में स्थानीय समाचार, अफवाह (गप-शप), उत्तरजीवता सूचनाएं शामिल है । यह देखना बहुत उपयोगी है कि कैसे ग्रामीण समुदाय के अंदर क्रमबद्ध सूचना का विकास हो सकेगा ।

2. **संस्थागत नेटवर्क -**

प्रशासनिक संरचनाएं और सरकारी सेवा एजेंसियों को संस्थागत नेटवर्क के अंग सम्मिलित किया जाता है । विस्तार सेवाएं, कृषि में, वानिकी, स्वास्थ और परिवार नियोजन आदि

इनमें जुड़ा हुआ है । राजनैतिक दलों, विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं इत्यादि को भी इसमें जोड़ा जा सकता है ।

संस्थागत नेटवर्क कदाचित ग्रामीण सूचना प्रबंध का अत्यंत प्रत्यक्ष रूप है । इनमें विस्तार सेवाएं जुड़ी हुई हैं जिससे ग्रामीण विकास हेतु सूचना प्रदाय में आने वाली कठिनाईयों से ज्ञात हुआ जा सकता है ।

3. जन संचार -

इसमें हम रेड़ियो, चलचित्र, मुद्रित सामाग्रियों और दूरदर्शन से तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं ।

रेड़ियो - ग्रामीण समुदाय में सूचना प्रबंध के उत्कृष्ट साधन "रेड़ियो" है । रेड़ियो के द्वारा प्रसारित सूचनाओं के प्राप्ति हेतु साक्षरता की आवश्यकता नहीं पड़ती । कुछ देश में स्वास्थ्य अभियान, साक्षरता आंदोलन और राजनैतिक संघटन में इसकी सफलता पूर्वक उपयोग किया है। फिर भी, यदि समुदाय गरीब है तो रेड़ियो स्वामित्व का स्तर न्यून ही रहेगा । देश के विविध भागों में निवासरत् ग्रामीण समुदायों के प्रत्येक बदलते हुए सूचना आवश्यकताओं को रेड़ियो कार्यक्रमों से पूरा नहीं किया जा सकता है ।

मुद्रित सामाग्रियां - अधिकतर ग्रामीण समुदायों में अध्ययन आदतें बहुत अच्छी विकसित नहीं होती ऐसे लोगों के लिए, जो कि धार्मिक साहित्य को पढ़ना पसंद करते हैं, स्कुली बच्चों के पाठ्य पुस्तकों व समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर सकते हैं ।

4. संचार के परंपरागत रूप -

ग्रामीण समुदाय की सांस्कृतिक बनावट हेतु यह आंतरिक भाग है । इसमें परंपरागत समारोह, मौखिक साहित्य (कविता, नाटक, लोक गाथा, इत्यादि) सम्मिलित हैं । परंपरागत संचार पद्धति देशी ज्ञान के अदला-बदली में बहुत उपयोगी है । अक्सर यहाँ संस्कृतिबद्ध देशी ज्ञान पद्धति बाह्य ज्ञान पद्धति के मध्य एक द्वन्द है, जिसे सरकारी एजेंसियों, विस्तार सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि ग्रामीण विकास के विरूद्ध स्वदेशी ज्ञान पद्धति को एक बाधक के रूप में माना जाता रहा है ।

शोधार्थी के विचार में, ग्रामीण सूचना प्रबंध के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवहारिक पहलू

यह है कि कैसे नये व्यवहारों और नवीनता के अंगीकरण में ग्रामीण समुदायों में सूचना एक सहायक के रूप में उपयोगी है ? यह संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक केन्द्रीय निर्णायक पहलू है ।

सूचना अंगीकरण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन से प्रदर्शित होता है कि वह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें एक वर्ष से अधिक भी लग सकता है । इस व्यवहारिक पहलू हेतु सूचना प्रदायकों की जानकारों की भविष्य में आवश्यकता है । ग्रामीण समुदाय के द्वारा मांगे जाने वाली सूचना विविध प्रकार में है जिसे कई चरणों में लिया जा सकता है :-

क- जागरूकता -

इस चरण में व्यक्ति प्रथमतः व्यवहार अथवा विचार के बारे में सीखता है । वह कोई विस्तृत ज्ञान नहीं रखता और केवल उसकी उपयोगिता के बारे में कुछ जानता है ।

ख- रूचि -

इस द्वितीय चरण पर व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता और विचार पर बने रहने हेतु विस्तृत जानकारी चाहता है कि कैसे वह कार्य करे, वह उसके बारे में अधिक सूचना ढूंढ़ता है ।

ग- मूल्यांकन -

व्यक्ति अपने मित्रों, रिश्तेदारों और निदर्शन से प्राप्त बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो उसके व्यवहार के लिए अच्छा है के संबंध में सूचना के मूल्यांकन हेतु निर्णय लेता है ।

घ- परीक्षण -

व्यक्ति एक बार निर्णय लेने के बाद अपनाये विचार को वह परीक्षण हेतु देता है जो कि अधिक समय अथवा कम समय ले सकता है ।

ड- अंगीकरण -

यह वह समय है जब व्यक्ति व्यवहार और उसके अंगीकृत से संदेह से दूर हो जाता है साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर सकता है । सूचना कार्यकर्त्ताओं के लिए जरूरी है कि वे ग्रामीण समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और उसकी उपयोग कर्त्ताओं के सूचना अदला-बदली व्यवहार को समझे, यदि वे समुचित सेवाएं देने हेतु स्वरूप बनायें तो। ग्रामीण समुदाय की सूचना वातावरण का चिंतन ग्रामीण समुदाय सूचना सेवाएं के सफलता हेतु चाहिए। [७४]

सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के नये आयाम : सामुदायिक सूचना सेवा

बदलते परिदृष्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रयोक्ताओं (Users) के विविध सूचना आवश्यकताएं और मांग की संतुष्टि हेतु प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार सार्वजनिक पुस्तकालय तदनुरूप सुसज्जित हैं और आजकल पुस्तकालय संशाधन केन्द्र जैसे शब्दों से संबोधित एवं प्रायः अधिक जाना जा रहा है। व्यापकता में इसके सेवाओं को मुख्यतः दो शीर्ष में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

प्रथम - पारंपरिक ग्रंथ सेवा और

द्वितीय - नवीनतम विकसित गैर ग्रंथ सेवा,

गैर ग्रंथ सेवा में सामान्यतः श्रव्य दृश्य सेवा और सूचना सेवा सम्मिलित है। यह सूचना सेवा पुनःश्च सूचना और त्वरित सेवा के रूप में विशेषीकृत है जो कि, अन्य शब्दों में सामुदायिक सूचना सेवा के रूप में उल्लेखित है। [105]

एक विशेषज्ञ विचार द्वारा सामुदायिक संशाधन को गैर ग्रंथ सूचना के लिए तथ्यात्मक प्रदर्शन कह सकते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं के नये अवधारणा के प्रसंग के साथ और समाज के पददलित लोगों द्वारा सूचना के लिए बढ़ती हुई आवश्यकताएं तथा मांगों के संदर्भ में सामुदायिक सूचना सेवा अब अधिक से अधिकतम लोकप्रियता विश्व में पा रहा है। प्रत्यक्ष तौर पर भारत भी इस बदलते दृश्यलेख से अलग नहीं रह सकता। वास्तव में यह हमारे लिए चुनौती है। हमारे सार्वजनिक पुस्तकालयों के द्वारा सामुदायिक सूचना सेवा का सफलता पूर्वक कार्यान्वयन से हमारे देश के लोकतंत्रीय आधार की सुदृढ़ता हेतु सचमुच में हमें सहायता मिल सकेगी।

निश्चय ही यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि नवीन सूचना सेवा पारंपरिक ग्रंथ सेवा के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं जा रहा अपितु यह त्वरित ग्रंथ सेवा के सम्पूरक के रूप में विकसित हुआ है।

भारत सरकार द्वारा प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित समिति ने ग्रंथालय और सूचना पद्धति पर राष्ट्रीय नीति हेतु कार्य योजना प्रतिपादित करते हुए मई, 1986 में प्रतिवेदन प्रस्तुत की। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति के

सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी स्थापना के साथ-साथ देश में सामुदायिक सूचना सेवा के विकास के दृष्टिगत महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गई थी ।

यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा - पत्र में शिक्षा, संस्कृति और सूचना के लिए लोक ग्रंथालयों में सजीव सार्मथ्य जैसे लक्ष्य पर विश्वास व्यक्त किया गया है और लोक ग्रंथालयों को नर-नारियों के आध्यात्मिक कल्याण और शांति के पोषण के लिए तात्विक कर्त्ता के रूप उद्घोषित किया गया है । [47]

सामुदायिक सूचना का आशय

हमारे सार्वजनिक पुस्तकालयों के द्वारा सामुदायिक सूचना सेवा के विकास की आवश्यकता का मूल्यांकन करते समय हमें स्पष्ट करना चाहिए कि सामुदायिक सूचना का क्या आशय है । यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) के पुस्तकालय संघ के पास सामुदायिक सूचना सेवा के परिचय और विकास की लंबी परंपरा है । हमें उनसे सामुदायिक सूचना सेवा के अवधारणा हेतु विशेष तथ्य ग्रहण करना चाहिए । उन्होंने सामुदायिक सूचना सेवा की व्याख्या किया है - ''पिछड़े लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सकारात्मक निर्णय, उनके आवासीय क्षेत्र की समस्याओं, उपभोक्ता मामलों, रोजगार, परिवार और व्यक्तिगत विषय, पारिवारिक वित्त, शिक्षा एवं नागरिक कल्याण के अधिकारों का ज्ञान कराना ।''

और अधिक स्पष्ट शब्दों में पुस्तकालय संघ ने सामुदायिक सूचना सेवा को पारिभाषित किया है - ''ऐसी सेवाएं जो व्यक्तिगत एवं सामूहिकता के साथ दैनिक समस्याओं के निराकरण और लोकतंत्रीय प्रक्रिया के सहभागिता में सहायक है । ऐसी सेवाएं उनके आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करती है जिन्हें मदद के अन्य स्त्रोत उपलब्ध नहीं है और ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण समस्याओं का निराकरण उनके गृहों में कार्यशालाओं में तथा अधिकारों में सामना करना सीखाता है ।'' (Community information : what libraries can do : a consultative document, London, library association, 1980)

संक्षिप्त में, सामुदायिक सूचना लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने में या उनके दैनिक समस्याओं के निराकरण में सहायता प्रदान करता है और निम्न सामाजिक- आर्थिक समूहों से संबंधित या प्रतिकूल परिस्थिति के लोगों की सेवा में सहायक है ।

सामुदायिक सूचना के प्रकार और उपयोग

सामाजिक जीवन में प्रत्यके दिन जीवन के आवश्यकताएं और समस्याएं के संबंध में विविध प्रकार के सूचना प्रश्न लोग रखते हैं। यह लोक पुस्तकाध्यक्षों का कर्तव्य है कि उनके प्रयोक्ताओं को सही जानकारियों से संतुष्ट करने और उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करने के लिए सूचना पुस्तिकाओं का सावधानी पूर्वक अनिवार्य संग्रहण और आपूर्ति करना चाहिए। अर्थात् वे लोगों की मांग के साथ विषयपरक सूचना का एकत्रीकरण कर उन्हें वितरण करें। सामुदायिक सूचना हमारें जीवन के वृहद क्षेत्र को समाविष्ट कर सकती है, जैसे गृह निर्माण और अन्य सहकारी /बैंक ऋण योजना पर सूचना, स्वरोजगार योजना, रोजगार के अवसर, ग्रामीण/ कृषि बैंक की सुविधाएं और स्थिति, विविध कृषि संबंधी उत्पादों के कीमत और उपलब्धता (बीज, खाद्य, तेल, पंप सेट, ट्रेक्टर, आदि), मतस्य और लघु उद्योग बीज/मिट्टी परीक्षण केन्द्र , उनके उत्पादन के लिए स्थानीय बाजार , प्राथमिक /माध्यमिक / व्यवसायिक शिक्षा हेतु युवा प्रशिक्षण केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं और पंचायत एवं सहकारी समिति नियम आदि। इसी प्रकार बस, ट्रेन समय- सारिणी, रोड नक्शा, आदि के संबंध में स्थानीय समुदाय के अपरिमित सहायता का प्रमाण दे सकता है। [14]

लोक ग्रंथालय संगठित संशाधन केन्द्रों जैसे कार्य कर सकते है, सूचना के सही विस्तार के लिए, अद्यतन सूचना विवरणिकाओं और प्रचार सामाग्रियों से संबद्ध जनकल्याण में सभी एजेंसियां जुड़ा हुआ है जहां लोग उपर्युक्त जानकारी हेतु संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षित ग्रंथालय स्टाफ अपने उपयोग कर्त्ताओं की व्यावसायिक सहायता उनके सूचना के सुदृढ़ विस्तार, सूचना सामाग्री के वर्गीकरण, सूचीकरण-अनुक्रमणीकरण, सामाग्रीयों के प्राप्ति कार्य में विस्तार कर सकती है।

हमारे लोक ग्रंथालयों में लोगों को सूचना सेवा से परिचित कराने के लिए एक "सामुदायिक सूचना सेवा-विवरणिका" तैयार करवाना चाहिए जिसमें उपयोग कर्त्ताओं के प्रश्नों से संबंधित समस्त जानकारीयों का संकलन हों, प्रदाय की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख हो तथा तुलनात्मक सूची - चालू सूचना पुस्तिका के उपलब्धता पर हो, से संबंधित विविध प्रकार के सूची उसमें रहना चाहिए। अपने लक्ष्यित पाठकों के विचार सर्वेक्षण पर आधारित, ग्रंथपाल से समूह चर्चा, अन्य शासकीय एजेंसियों एवं लोक पुस्तकालयों के मध्य सम्मिलित परिचर्चा, और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उत्पादित सूचना सामग्रियों और प्रचार का सर्वेक्षण पर

आधारित विवरणिका अधिक अच्छा हो सकता है । इस प्रकार तैयार विवरणिका (Mannual) की प्रतियां विभिन्न लोक ग्रंथालयों को भेजी जानी चाहिए और पुस्तकाध्यक्षों को उनमें निहित विषय वस्तु को निःशुल्क सेवाओं के रूप में अपने पाठकों को प्रस्तुत करना चाहिए ।[105]

एक बार यदि आस-पास के समुदाय अपने नजदीकी सूचना केन्द्र से आवश्यक ज्ञान /सूचना / जानकारी को अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने लग जाए तो उन्हें किसी भी सूचना के लिए कहीं और जाने की जरुरत नहीं होगी तथा पुस्तकालयों को भी अपनी लोकप्रियता स्वतः हासिल हो जाएगी ।

---000---